

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 8-03-2025

विषय सूची

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत पुनः प्रारंभ करने से मना कर दिया

समुद्री घास का संरक्षण वैश्विक जैव विविधता की कुंजी है

‘लोकतंत्र से ईमोक्रेसी’

अमेरिका ने हानि एवं क्षति निधि से अपना पैसा वापस ले लिया

संक्षिप्त समाचार

वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम

पोषण अभियान के 6 वर्ष

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑस्ट्रेलिया दौरा

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड

ASTRA MK-III का नाम बदलकर गांडीव रखा गया

TROPEX-2025

संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना

विगत 20 वर्षों से तितलियाँ घटती जा रही हैं

‘बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश’ पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।

परिचय

- प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
- 1917 की रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था।
- 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी।
- **2025 के लिए थीम में शामिल हैं:**
 - **संयुक्त राष्ट्र (UN) थीम:** “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार। समानता। सशक्तीकरण।”
 - **आधिकारिक IWD थीम:** “कार्रवाई में तेजी लाना।”
- वर्ष 2025 बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच को अपनाए जाने के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा।
- यह समझौता वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक रूपरेखाओं में से एक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए कानूनी ढाँचा

- भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 51(a)(e) नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और 42, समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और मातृत्व राहत पर बल देते हैं।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

- **लिंग भेदभाव:** निरंतर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करती हैं।
- **शिक्षा तक पहुँच की कमी:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों के भविष्य के अवसरों को प्रभावित करती है।
- **आर्थिक असमानता:** महिलाओं को प्रायः वेतन अंतर, सीमित रोजगार के अवसर और असमान वित्तीय स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है।
- **सुरक्षा और संरक्षण:** यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तस्करी सहित लिंग आधारित हिंसा की उच्च दर।
- **स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार:** स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन अधिकार और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच।
- **बाल विवाह:** बाल विवाह का प्रचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** राजनीतिक कार्यालयों और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व।
- **सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ:** कठोर सामाजिक भूमिकाएँ जो महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति एवं विकास के अवसरों को सीमित करती हैं।
- **कार्यस्थल उत्पीड़न:** लिंग आधारित उत्पीड़न और कार्यस्थलों में उचित समर्थन संरचनाओं की कमी।

भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता है:

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR, 1966)।
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW, 1979)।

- बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच (1995)।
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003)।
- सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030।

भारत में उपलब्धियाँ:

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रयास करता है।
- राष्ट्रीय लिंग अनुपात में प्रथम बार सुधार हुआ और यह 1020 हो गया (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5)।
- पैसे देकर मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया।
- 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते।
- PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 72% महिलाओं के पास स्वामित्व।
- 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से 2018-20 में MMR 97/लाख जीवित जन्म।
- तीन तलाक का उन्मूलन मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- 12 सेनाओं और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।
- तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ।
- भारत में 43% STEM स्नातक महिलाएँ हैं जो विश्व में सबसे अधिक है।

सरकारी पहल

- मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया एक महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
 - इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाया जा सके।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और PM मातृ वंदना योजना जैसी पहलों ने भी महिलाओं और लड़कियों के कल्याण एवं सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान दिया है।
- मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल कैलोरी सेवन से परे बेहतर बनाने और उचित सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों का समर्थन किया है।
- नारी शक्ति पुरस्कार: विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, उपलब्धियों का जश्न मनाता है और दूसरों को प्रेरित करता है।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है।

Source: IE

ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत पुनः प्रारंभ करने से मना कर दिया

संदर्भ

- ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता पुनः प्रारंभ करने से मना कर दिया।

परिचय

- ट्रम्प प्रशासन ने अपनी “अधिकतम दबाव” रणनीति के अंतर्गत ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं - जिसमें देश के तेल नेटवर्क पर भी प्रतिबंध शामिल हैं।
- ट्रम्प ने ईरान को पत्र लिखकर परमाणु समझौते पर बातचीत करने या सैन्य कार्रवाई का जोखिम उठाने का आग्रह किया।

- ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वे केवल अन्य JCPOA सदस्यों (यूरोप, रूस, चीन) के साथ बातचीत करेंगे, अमेरिका के साथ नहीं।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) 2015

- **प्रतिभागी:**
 - ईरान
 - **P5+1:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) और जर्मनी।
 - **यूरोपीय संघ:** वार्ता में भाग लिया।

ईरान की प्रतिबद्धताएँ:

- **परमाणु प्रतिबंध:** ईरान ने परमाणु हथियारों के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन न करने और अपनी परमाणु सुविधाओं (फोर्डो, नतांज, अराक) को नागरिक उद्देश्यों पर केंद्रित करने के लिए सहमति व्यक्त की।
- **सेंट्रीफ्यूज सीमाएँ:** ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या, प्रकार एवं स्तर को सीमित कर दिया, और समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को कम कर दिया।
 - 5% तक समृद्ध यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए है;
 - 20% अनुसंधान या चिकित्सा उपयोग के लिए;
 - 90% हथियारों के लिए।
- **निगरानी और सत्यापन:** ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अघोषित साइटों सहित परमाणु सुविधाओं तक निर्बाध पहुँच की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।
 - एक संयुक्त आयोग सौदे के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और IAEA को संदिग्ध साइटों तक पहुँच प्रदान करने सहित विवादों को हल करता है।

अन्य हस्ताक्षरकर्ता किन बातों पर सहमत हुए:

- **प्रतिबंधों में राहत:** यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने ईरान पर परमाणु संबंधी प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों, आतंकवाद समर्थन और मानवाधिकारों पर अमेरिकी प्रतिबंध बने रहे।

- अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध बरकरार रखे।
- ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार और मिसाइल प्रतिबंध पांच वर्ष बाद हटा दिए गए, बशर्ते IAEA पुष्टि करे कि ईरान की परमाणु गतिविधियाँ नागरिक बनी हुई हैं।
- **समझौते का उल्लंघन:** यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता को संदेह है कि ईरान समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर मतदान कर सकती है कि प्रतिबंधों में राहत जारी रखी जाए या नहीं।
 - यह “स्नैपबैक” तंत्र दस वर्ष तक प्रभावी रहता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध स्थायी रूप से हटा दिए जाते हैं।
- **ट्रंप का समझौते से पीछे हटना:** 2018 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से हटा लिया, जिसके कारण ईरान ने परमाणु गतिविधियाँ फिर से प्रारंभ कर दीं।
- **ईरान की परमाणु गतिविधि:** 2023 में, ईरान ने हथियार-ग्रेड के स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ गईं।
 - JCPOA के प्रमुख प्रावधान 2023 के अंत तक समाप्त होने लगेंगे।

JCPOA के लक्ष्य:

- **ईरान के परमाणु हथियार विकास में विलंब:** इसका लक्ष्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कम से कम एक वर्ष तक विलंबित करना था, जबकि समझौते के बिना ऐसा करने में कुछ महीने लगते।
- **क्षेत्रीय संकट को रोकना:** यह भय है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण इजरायल द्वारा पूर्व-आक्रमणकारी सैन्य कार्रवाई हो सकती है या क्षेत्र के अन्दर परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो सकती है।

वार्तालाप में चुनौतियाँ

- **अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास:** अतीत में किए गए विश्वासघात कूटनीतिक प्रगति में बाधा डालते हैं।
- **अलग-अलग हित:** अमेरिका एक व्यापक समझौता चाहता है; ईरान JCPOA की पुनर्स्थापना चाहता है।

- **घरेलू राजनीतिक बाधाएँ:** दोनों देशों के कट्टरपंथी समझौते का विरोध करते हैं।

आगे की राह

परिदृश्य	संभावित परिणाम
• सफल वार्ता	तनाव में कमी, ईरान को आर्थिक राहत, परमाणु प्रतिबंध लागू।
• कोई सौदा नहीं / यथास्थिति	निरंतर परमाणु वृद्धि, आगे प्रतिबंध, क्षेत्रीय अस्थिरता।
• सैन्य कार्रवाई	मध्य पूर्व में संघर्ष का खतरा, तेल बाजार में व्यवधान, वैश्विक आर्थिक प्रभाव।

Source: TOI

समुद्री घास का संरक्षण वैश्विक जैव विविधता की कुंजी है

संदर्भ

- नेचर रिव्यूज़ अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक हालिया समीक्षा में मानवीय गतिविधियों के कारण संपूर्ण विश्व में समुद्री घास की स्थिति में प्रति वर्ष 1-2% की दर से गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

समुद्री घास के बारे में

- समुद्री घास जल में डूबे हुए फूलदार पौधे हैं जो जल के नीचे घने घास के मैदान बनाते हैं।
- वे स्थलीय पौधों से विकसित हुए और समुद्री वातावरण के अनुकूल हो गए।
- समुद्री घास (जो शैवाल है) के विपरीत, समुद्री घास में जड़ें, तने एवं पत्तियाँ होती हैं तथा वे फूल और बीज सृजित कर सकते हैं।

समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व

- **कार्बन सीक्वेट्रेशन और जलवायु कार्रवाई:** “समुद्र के फेफड़े” के रूप में जाने जाने वाले समुद्री घास उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 35 गुना अधिक तेजी से कार्बन जमा कर सकते हैं।
- **जैव विविधता और समुद्री जीवन संरक्षण:** समुद्री घास के मैदान मछली प्रजातियों के लिए आवास एवं

नर्सरी प्रदान करते हैं और संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं।

- **तटीय संरक्षण:** प्राकृतिक अवरोधों के रूप में कार्य करते हुए, समुद्री घास तटीय समुदायों को तूफानों और कटाव से बचाती है, जिससे आपदा जोखिम कम हो जाता है।
- **आर्थिक मूल्य:** समुद्री घास के मैदान बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिसका मूल्य वार्षिक 6.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वे मत्स्य पालन, पर्यटन को बनाए रखकर तटीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं

भारत में समुद्री घास

- भारत की पुनर्गणना की गई 11,098 किमी (2023-24) की तटरेखा के साथ, व्यापक समुद्री घास के मैदान हैं, विशेष रूप से मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह एवं कच्छ की खाड़ी में।

समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा

- शहरीकरण, प्रदूषण और कृषि गतिविधियों जैसी मानवजनित गतिविधियाँ।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए कानूनों का कमजोर प्रवर्तन।
- जैव विविधता की हानि और अनियमित मछली पकड़ने एवं नौका विहार गतिविधियाँ।

वैश्विक और भारतीय पुनरुद्धार प्रयास

- **वैश्विक सफलता की कहानियाँ:**
 - **समुद्री घास की निगरानी:** एक सहयोगात्मक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम जो स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और अनुसंधान संगठनों को पूरे विश्व में समुद्री घास आवासों की निगरानी, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए प्रशिक्षित करता है।
 - **ब्लू कार्बन पहल:** मेंग्रोव, लवणीय दलदल और समुद्री घास सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक वैश्विक परियोजना।

• **भारतीय संरक्षण पहल:**

- **समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति (2017):** मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के साथ-साथ समुद्री घास के मैदानों को आवश्यक तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- **जलवायु प्रतिरोधक परियोजना:** आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में कार्यान्विता वैश्विक जलवायु कोष (GCF) से अनुदान द्वारा समर्थित।
- **मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में समुद्री घास की पुनर्स्थापना।**

Source: DTE

‘लोकतंत्र से ईमोक्रेसी’

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने ‘लोकतंत्र से ईमोक्रेसी’ की ओर बदलाव पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आह्वान किया तथा इस बात पर बल दिया कि भावना से प्रेरित नीतियाँ और परिचर्चाएँ लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के लिए जोखिम हैं।

ईमोक्रेसी को समझना: तर्कसंगत परिचर्चा से भावनात्मक प्रभाव तक

- परंपरागत रूप से, लोकतंत्र तार्किक तर्क, परिचर्चा और सूचित नागरिकों पर आधारित होता है।
- एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नीतियों को साक्ष्य, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और तर्कसंगत निर्णय लेने के आधार पर तैयार किया जाता है और उन पर परिचर्चा की जाती है।
- हालाँकि, एक लोकतंत्र (‘भावना’ और ‘लोकतंत्र’ का मिश्रण) में, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी से जनता की भावनाओं, वायरल कथाओं और मनोवैज्ञानिक अनुनय रणनीति द्वारा तय की जाती है।
- यह विश्व भर में दिखाई देता है - अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नेताओं के उदय से लेकर ब्रिटेन में ब्रेक्सिट और कई यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी उछाल तक।

लोकतंत्र बनाम ईमोक्रेसी: मुख्य अंतर		
विशेषताएँ	लोकतंत्र	ईमोक्रेसी
निर्णय	तर्कसंगत, साक्ष्य-आधारित	भावना से प्रेरित, आवेगपूर्ण
राजनीतिक नेतृत्व	जवाबदेह, नीति-केंद्रित	करिश्माई, लोकलुभावन
सार्वजनिक सहभागिता	सूचित परिचर्चा	भावना-संचालित प्रतिक्रियाएँ
मीडिया प्रभाव	स्वतंत्र प्रेस, खोजी पत्रकारिता	सनसनीखेज, गलत सूचना
दीर्घकालिक शासन	स्थिरता, संस्थागत निरंतरता	अल्पकालिक, प्रतिक्रियावादी नीतियाँ

लोकतंत्र से ईमोक्रेसी की ओर बदलाव के कारक

- **डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया का प्रभाव:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सनसनीखेज बातों को बढ़ावा देते हैं, जिससे भावनात्मक रूप से आवेशित कथाएँ वायरल हो जाती हैं।
- **पारंपरिक मीडिया के विपरीत,** जहाँ पत्रकारिता की नैतिकता कुछ कुछ तक तथ्य-जाँच सुनिश्चित करती है, सोशल मीडिया अनियंत्रित गलत सूचनाओं को तेजी से फैलने देता है।
- **राजनीतिक संदेश और प्रचार की भूमिका:** राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को जुटाने के लिए भावनात्मक रूप से आवेशित बयानबाजी को अपनाया है।
- **चाहे वह राष्ट्रवाद, धार्मिक भावनाओं या ऐतिहासिक शिकायतों का आह्वान हो,** राजनीतिक अभियान अब तार्किक परिचर्चा में शामिल होने के बजाय मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **पहचान की राजनीति और समूह-आधारित लामबंदी:** राजनीतिक नेताओं ने महसूस किया है कि समूह की पहचान-धर्म, जाति, क्षेत्र और जातीयता-को आकर्षित करके बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त किए जा सकता है।

- इसने एक ऐसे शासन मॉडल को जन्म दिया जहाँ नीतियाँ अक्सर व्यापक आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर होने के बजाय भावनात्मक निर्वाचन क्षेत्रों को खुश करने के लिए तैयार की जाती हैं।
 - **सकारात्मक कार्रवाई बनाम दृष्टिकरण:** संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में उल्लिखित हाशिए के समुदायों के लिए प्रावधान न्यायोचित हैं और सामाजिक समानता के लिए आवश्यक हैं।
- भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियों से सुशासन को खतरा**
- **लोकलुभावनवाद और राजकोषीय विवेक:** लोकलुभावन नेता नीति-आधारित शासन के बजाय जन भावनाओं को आकर्षित करते हैं।
 - **उदाहरण के लिए: कृषि ऋण माफी:** पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई भारतीय राज्यों ने किसानों के विरोध के जवाब में बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफी की घोषणा की है।
 - **RBI (2023) के डेटा से पता चलता है कि 30% से भी कम छोटे किसान वास्तव में ऐसी छूट से लाभान्वित होते हैं, जबकि वे राज्य के बजट पर दीर्घकालिक वित्तीय भार डालते हैं।**
 - **कानूनी और संवैधानिक संघर्ष:** भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियाँ प्रायः उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर देती हैं, जिसके कारण संवैधानिक या कानूनी कमियों वाले खराब तरीके से तैयार किए गए कानून बनते हैं।
 - **उदाहरण: विमुद्रीकरण (2016):** काले धन पर अंकुश लगाने के कदम के रूप में घोषित, विमुद्रीकरण ने अवैध धन को प्रभावी रूप से कम किए बिना अल्पकालिक आर्थिक संकट उत्पन्न किया।
 - **NSSO डेटा (2018):** नकदी की कमी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में 1.5 मिलियन रोजगार चली गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने विमुद्रीकरण की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन को स्वीकार किया।
 - **आर्थिक व्यवधान और संसाधनों का गलत आवंटन:** भावनाओं पर आधारित नीतियाँ प्रायः आर्थिक व्यवहार्यता को नज़रअंदाज़ कर देती हैं, जिससे बेकार के व्यय होते हैं।
 - बाजार के भरोसे और निवेश के माहौल को बाधित करता है।
 - **उदाहरण: मुफ्त बिजली और जल से संबंधित योजनाएँ:** कई सरकारें मतदाताओं से भावनात्मक अपील के तौर पर मुफ्त उपयोगिताओं की घोषणा करती हैं।
 - **सीएजी रिपोर्ट (2021):** दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली योजनाओं के कारण बिजली क्षेत्र पर कर्ज बढ़ गया है, जिससे बुनियादी ढाँचे में निवेश प्रभावित हो रहा है।
 - **सामाजिक ध्रुवीकरण और नीतिगत पक्षाघात:** भावनात्मक दबाव में बनाई गई नीतियाँ अक्सर विभाजनकारी राजनीति को जन्म देती हैं। हितधारकों के बीच सामान्य सहमति की कमी के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन विफल हो जाता है।
 - **उदाहरण: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) (2019):** गरमागरम राजनीतिक परिचर्चाओं के बीच पारित, CAA ने धार्मिक भेदभाव पर चिंताओं के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे NRC प्रक्रिया में और देरी हुई।
 - **प्रतिक्रियावादी बनाम दीर्घकालिक नीति निर्माण:** संकट-संचालित नीतियों में अक्सर दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव होता है। तत्काल उपाय संरचनात्मक सुधारों पर हावी हो जाते हैं।
 - **उदाहरण: COVID-19 लॉकडाउन (2020):** देशव्यापी लॉकडाउन अचानक लागू किया गया, जिससे लाखों प्रवासी कामगार फंस गए।
 - **CMIE डेटा (2021):** आर्थिक व्यवधानों के लिए योजना की कमी के कारण 75 मिलियन लोगों ने नौकरी खो दी।

- जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने सामाजिक सुरक्षा सहायता के साथ चरणबद्ध लॉकडाउन को अपनाया, जिससे आर्थिक आघात कम से कम हुए।

भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियां अभी भी महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना:** अतीत में हुए अन्याय को दूर करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतियों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। हाशिए पर पड़े समूहों के लिए बनाई गई नीतियाँ प्रायः नैतिक और भावनात्मक विचारों से प्रेरित होती हैं।
 - उदाहरण:** SCs, STs, और OBCs और के लिए आरक्षण।
 - आलोचना के बावजूद, सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - नीति आयोग रिपोर्ट (2023):** शिक्षा में आरक्षण नीतियों के कारण SCs, STs के बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- संकट के दौरान त्वरित निर्णय लेना:** आपदा या युद्ध के समय में तेजी से सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ अक्सर आवश्यक होती हैं।
 - यदि नीतियों को बिना किसी तत्परता के अत्यधिक तर्कसंगत बनाया जाता है, तो नौकरशाही की देरी मानवीय संकटों को अधिक खराब बना सकती है।
 - उदाहरण के लिए:** महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) से 80 मिलियन लोगों को लाभ हुआ।
- राष्ट्रीय एकता और पहचान को मजबूत करना:** कुछ भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियाँ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामान्य पहचान को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं।
 - देशभक्ति, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ हमेशा आर्थिक या कानूनी रूप से

आवश्यक नहीं हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक सामाजिक सामंजस्य की सेवा करती हैं।

- उदाहरण: स्वच्छ भारत अभियान:** यद्यपि आलोचकों ने तर्क दिया कि यह संरचनात्मक स्वच्छता सुधारों की तुलना में प्रतीकवाद पर अधिक केंद्रित है, इसने ग्रामीण स्वच्छता जागरूकता में अत्यधिक सुधार किया।

- यूनिसेफ अध्ययन (2021):** व्यवहार परिवर्तन के कारण ग्रामीण भारत में खुले में शौच में 60% की कमी आई।

आगे की राह

- डेटा-संचालित शासन को मजबूत करना:** नीतियों को भावनाओं के बजाय आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक शोध द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।
 - उदाहरण:** केरल का नव केरलम मिशन वास्तविक समय के डेटा विश्लेषण के आधार पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सोशल मीडिया नैरेटिव को विनियमित करना:** यद्यपि मुक्त भाषण की रक्षा की जानी चाहिए, प्लेटफॉर्म को गलत सूचना और अभद्र भाषा को रोकने के लिए कठोर नियम अपनाने चाहिए।
- तर्कसंगत सार्वजनिक विमर्श को पुनर्जीवित करना:** विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और नागरिक समाज समूहों जैसे संस्थानों को सार्वजनिक मंचों पर तर्क-आधारित चर्चाओं को पुनर्स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
- संस्थागत सुधार:** राजकोषीय नीतियों को दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए संसदीय समितियों द्वारा कठोर जाँच से गुजरना चाहिए।
 - उदाहरण:** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम लापरवाह सार्वजनिक व्यय को रोकने में सहायता करता है।
- द्वितीय ARC अनुशांसा:** प्रतिक्रियावादी निर्णय लेने से बचने के लिए प्रमुख नीतियों को लागू करने से पहले प्रभाव आकलन समितियों को संस्थागत बनाना।

Source: PIB

अमेरिका ने हानि एवं क्षति निधि से अपना पैसा वापस ले लिया

समाचार में

- अमेरिका ने हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया है।

ट्रम्प प्रशासन का जलवायु परिवर्तन से अलगाव

- यह निर्णय ट्रम्प प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों से चल रही अलगाव को दर्शाता है, जिसमें पेरिस समझौते से बाहर निकलना, IPCC में अमेरिकी वैज्ञानिकों की भागीदारी को रोकना, तथा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए धनराशि को रद्द करना शामिल है।

हानि और क्षति निधि (LDF)

- इसकी स्थापना मिस्र में 2022 UNFCCC सम्मेलन (COP27) में की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों तरह की हानि का सामना कर रहे क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इनमें चरम मौसम की घटनाएँ और धीमी गति से होने वाली प्रक्रियाएँ, जैसे समुद्र का बढ़ता स्तर शामिल हैं।
- LDF की देखरेख एक गवर्निंग बोर्ड करता है जो यह निर्धारित करता है कि फंड के संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए, जिसमें विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य

- इस कोष का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों की सहायता करना है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ी आर्थिक और गैर-आर्थिक हानि एवं क्षति से निपट सकें, जिसमें चरम मौसम संबंधी घटनाएँ तथा धीमी शुरुआत वाली घटनाएँ शामिल हैं।

चिंताएँ

- जलवायु निधि अक्सर आपदा के तुरंत बाद उपलब्ध होने में बहुत धीमी होती है, विशेषतः उप-राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय समुदायों के लिए।

- यह अनुमान है कि LDF को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- उत्सर्जन में भारी कमी के बिना, अधिक देश जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से पीड़ित होंगे, जिससे शमन, अनुकूलन और हानि और क्षति के लिए अतिरिक्त संसाधन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
- अमेरिका की वापसी वैश्विक जलवायु न्याय को कमजोर करती है और जलवायु क्षति एवं क्षतिपूर्ति में इसकी भूमिका के लिए इसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

भारत का दृष्टिकोण

- 2019 और 2023 के बीच मौसम संबंधी आपदाओं से 56 बिलियन डॉलर से अधिक की हानि का सामना करने के बावजूद, भारत ने अनुकूलन के बजाय शमन प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसके कारण COP बैठकों में हानि और क्षति संवादों में सीमित भागीदारी हुई है।
- भारत के केंद्रीय बजट 2024 में जलवायु वित्त वर्गीकरण की शुरुआत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में वृद्धि की उम्मीदें जगाई हैं। हालाँकि, LDF फंड तक पहुँचने के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना, सुभेद्य समुदाय असुरक्षित बने रहेंगे।

निष्कर्ष और आगे की राह

- हानि एवं क्षति कोष की प्रभावशीलता ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे मौजूदा जलवायु वित्त संस्थानों द्वारा छोड़े गए अंतराल को संबोधित करने पर निर्भर करती है।
- हालाँकि, इस कोष के वास्तव में प्रभावी होने के लिए, जलवायु परिवर्तन के मूल कारण-उत्सर्जन-से निपटना होगा।
- भारत को अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिए जलवायु वित्त को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी एवं नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है, जो सुभेद्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय स्तर पर संचालित अनुकूलन सिद्धांतों के अनुरूप हो।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम

समाचार में

- पूर्व IPL प्रमुख ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा कर दिया है और वानुअतु की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जो गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो फिजी से 800 किमी. पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया से 1,770 किमी. पूर्व में स्थित है।
- यह भूकंपीय रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है, जो प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उच्च विवर्तनिक गतिविधि के लिए जाना जाता है।



गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम

- वानुअतु एक लोकप्रिय निवेश द्वारा नागरिकता (CBI) या 'गोल्डन पासपोर्ट' कार्यक्रम प्रदान करता है।
- यह व्यक्तियों को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान देकर नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
 - नागरिकता की लागत \$135,500 से \$155,500 तक होती है, जिसमें चार लोगों के परिवार के लिए विकल्प शामिल हैं।
- आवेदन जमा करने के बाद प्रसंस्करण समय 30 से 60 दिनों तक होता है।

वानुअतु की नागरिकता के लाभ

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह 51वें स्थान पर है (सऊदी अरब, चीन, भारत और इंडोनेशिया से आगे)।
- वानुअतु एक कर-हेवन है, जहाँ कोई व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर, विरासत कर या संपत्ति कर नहीं है।
- वानुअतु राजस्व सृजन के लिए अपतटीय वित्तीय सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- एक गरीब देश होने के बावजूद, यह निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने कर-हेवन की स्थिति का उपयोग करता है।

घोटाले और आलोचना

- आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है, जिससे इस योजना के शोषण के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कार्यक्रम शोषण के लिए कमजोर है और इसका उपयोग यूरोपीय संघ और ब्रिटेन तक पहुँचने के लिए पिछले दरवाजे के रूप में किया जा सकता है।
- वानुआतु के ढीले कराधान कानूनों को धन शोधन के संभावित राह के रूप में देखा जाता है।

Source: IE

पोषण अभियान के 6 वर्ष


संदर्भ

- हाल ही में, 2018 में प्रारंभ किए गए पोषण अभियान ने अपने कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे किए हैं।

पोषण अभियान के बारे में

- उद्देश्य:**
 - बच्चों (0-6 वर्ष) में बौनेपन को रोकना और कम करना।
 - बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण (कम वजन का प्रचलन) को रोकना और कम करना।
 - महिलाओं और किशोरियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया के प्रचलन को कम करना।

- बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से कम जन्म वजन (LBW) को कम करना।



- **पोषण अभियान के रणनीतिक स्तंभ:**
 - **गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच:** एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, विशेष रूप से बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों के दौरान।
 - **क्रॉस-सेक्टरल कन्वर्जेंस:** स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जल एवं स्वच्छता और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से पीने के जल तक पहुँच सहित कई मंत्रालयों में प्रयासों का समन्वय करना।
 - **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** पोषण ट्रेकर एप्लिकेशन जैसे उपकरण वास्तविक समय में डेटा संग्रह और हस्तक्षेप को सक्षम करते हैं।
 - **जन आंदोलन:** सामुदायिक जुड़ाव व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देने और पोषण के बारे में व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की कुंजी है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- 2021 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जैसे समान उद्देश्यों वाले विभिन्न कार्यक्रमों को एक छतरी के नीचे समाहित किया गया।

वित्त पोषण पैटर्न:

- विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: संघ और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच 60:40।
- पूर्वोत्तर (NER) और हिमालयी राज्यों के लिए: संघ और राज्य सरकार के बीच 90:10।

Source: PIB

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

संदर्भ

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया।

परिचय

- यह एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कर्मयोगी मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना और उनका मार्गदर्शन करना है, जिसमें शासन के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है।
- इस पहल की शुरुआत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा की गई है।
- कार्यक्रम में सेवा-भाव और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

क्षमता निर्माण आयोग

- इसकी स्थापना 2021 में की गई थी।
- यह एक तीन सदस्यीय आयोग है, जिसे एक सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाता है।
- निजी क्षेत्र, शिक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज जैसे विविध पृष्ठभूमि से सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
- आयोग का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण और विकास परिदृश्य में स्टैंड सामंजस्य को आगे बढ़ाने पर है।

मिशन कर्मयोगी

- 2020 में, भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी, सिविल सेवा क्षमता निर्माण (NPCSCP) के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
- यह एक शीर्ष निकाय द्वारा संचालित है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।

Source: PIB

इस्लामी सहयोग संगठन (OIC)**समाचार में**

- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने अरब लीग के वैकल्पिक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें ट्रम्प की गाजा पर नियंत्रण करने और वहां के निवासियों को जबरन स्थानांतरित करने की योजना का विरोध किया गया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसके सदस्य 57 देश हैं, जो चार महाद्वीपों में फैले हुए हैं और मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।
- **स्थापना:** 25 सितंबर 1969
- **मुख्यालय:** जेद्दा, सऊदी अरब
- **OIC के उद्देश्य:**
 - सदस्य देशों के बीच इस्लामी एकजुटता को बढ़ावा देना।
 - राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मुस्लिम हितों की रक्षा करना।
 - विशेष रूप से फिलिस्तीन में इस्लामी पवित्र स्थलों की रक्षा करना।

भारत और OIC

- भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन OIC के प्रस्तावों में इसका उल्लेख किया गया है, विशेषतः कश्मीर से संबंधित।

- 2019 में, भारत को OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- भारत ने कश्मीर पर OIC के दृष्टिकोण की आलोचना की है और इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है।

Source: TOI

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑस्ट्रेलिया दौरा**सन्दर्भ**

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

परिचय

- **फोकस:** इस यात्रा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा प्राथमिकताओं और अंतर-संचालन पर सहयोग को आगे बढ़ाया।
- **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:** समुद्री डोमेन जागरूकता।
 - पारस्परिक सूचना साझाकरण।
 - एक-दूसरे के क्षेत्रों से तैनाती।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

- भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया था।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सैन्य अधिकारी है।
 - यह भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के संचालन और समन्वय की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
- CDS सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है और आधुनिकीकरण एवं रणनीतिक रक्षा योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी

- ऑस्ट्रेलिया और भारत सामूहिक शक्ति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार है, दोनों ही शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक का लक्ष्य रखते हैं।
- **रक्षा और सामरिक सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पिछले 8-10 वर्षों में बड़ा परिवर्तन।
- **पारस्परिक रसद सहायता समझौता:** रसद सहयोग बढ़ाने के लिए 2020 में हस्ताक्षर किए गए।
- **नौसेना-से-नौसेना संबंध:** अगस्त 2021 में 'भारत-ऑस्ट्रेलिया नौसेना से नौसेना संबंध के लिए संयुक्त मार्गदर्शन' पर हस्ताक्षर किए गए।
- **जारी वार्ता:** हाइड्रोग्राफी सहयोग और वायु से वायु में ईंधन भरने पर उन्नत चर्चा।

Source: TH

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन

संदर्भ

- रूस-यूक्रेन युद्ध पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लिथुआनिया ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन से स्वयं को पृथक् कर लिया।
- यह कन्वेंशन छोड़ने वाला प्रथम देश है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन

- **अपनाया गया:** 2008 में ओस्लो, नॉर्वे में हस्ताक्षरित।
- **उद्देश्य:** क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य।
- अविस्फोटित उप-हथियारों से होने वाले अंधाधुंध हानि से नागरिकों की रक्षा करना।
- क्लस्टर युद्ध सामग्री को विमान से गिराया जा सकता है या तोपखाने से दागा जा सकता है, जो हवा में विस्फोट कर सकता है और एक बड़े क्षेत्र में बम गिरा सकता है।
- वे छोटे विस्फोटक उप-हथियार छोड़ते हैं जो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक खतरनाक बने रह सकते हैं।
- **हस्ताक्षरकर्ता:** 100 से अधिक देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं या इसकी पुष्टि की है।

- अमेरिका, भारत, रूस और चीन जैसी प्रमुख सैन्य शक्तियों सहित कुछ देशों ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

Source: TH

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश और सहसंयोजक कार्बनिक ढाँचे का उपयोग करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन के लिए एक सतत और ऊर्जा-कुशल विधि की खोज की है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H₂O₂) के बारे में

- यह एक रंगहीन तरल रासायनिक यौगिक है जो अपने मजबूत ऑक्सीकरण गुणों के लिए जाना जाता है।
- इसका व्यापक रूप से कीटाणुशोधन, कागज विरंजन, रासायनिक संश्लेषण और ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है।
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड आंखों, नाक, त्वचा और गले में जलन पैदा कर सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के संपर्क में आने से श्रमिकों को नुकसान हो सकता है।

Source: DTE

ASTRA MK-III का नाम बदलकर गांडीव रखा गया

समाचार में

- भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत दृश्य सीमा से परे (BVR) वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल, अस्त्र MK-III का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है।

गांडीव मिसाइल की मुख्य विशेषताएँ

- **विस्तारित रेंज:**
 - 20 किमी की ऊँचाई पर दुश्मनों को निशाना बनाते समय 340 किमी.
 - 8 किमी की ऊँचाई पर लक्ष्य को निशाना बनाते समय 190 किमी.

• उन्नत प्रणोदन प्रणाली:

- दोहरे ईंधन वाले डक्टेड रैमजेट इंजन (एक अत्याधुनिक तकनीक जो ऑक्सीडाइज़र के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है) द्वारा संचालित, निरंतर उच्च गति की उड़ान सुनिश्चित करती है।
- 0.8 से 2.2 मैक के बीच लॉन्च गति, 2.0 से 3.6 मैक पर चलने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम।

• बढ़ी हुई लक्ष्य भेदने की क्षमता:

- लड़ाकू जेट, बमवर्षक, सैन्य परिवहन विमान को निष्प्रभावी कर सकता है।

Source: ET

TROPEX-2025

संदर्भ

- TROPEX 25 जनवरी से 25 मार्च तक तीन महीने की अवधि में आयोजित किया जाता है।

परिचय

- यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त भागीदारी होती है।
- इसे कई चरणों में निष्पादित किया जाता है - बंदरगाह और समुद्र दोनों में - जिसमें साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध,

संयुक्त कार्य चरण के दौरान लाइव हथियार फायरिंग एवं उभयचर अभ्यास (AMPHEX) सहित युद्ध संचालन के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत किया जाता है।

Source: PIB

संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना


समाचार में

- सरकार ने सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को सहायता देने के लिए संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना प्रारंभ की है।

संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के बारे में

- यह मौजूदा गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फ़ीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (DFG) जैसे अनाज का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
- इस योजना के तहत, सरकार उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए 6% प्रति वर्ष या बैंक ब्याज दर का 50% (जो भी कम हो) ब्याज सहायता प्रदान करती है।
- यह सहायता पाँच वर्षों के लिए उपलब्ध है, जिसमें एक वर्ष की स्थगन अवधि भी शामिल है। यह सरकार के पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल (EBP) कार्यक्रम के अनुरूप है।

योजना की आवश्यकता



क्या आप जानते हैं?

- भारत सरकार पूरे देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण (EBP) कार्यक्रम लागू कर रही है।
- EBP कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
- सरकार ने जुलाई 2018 से अप्रैल 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज छूट योजनाओं को अधिसूचित किया है।

Source: PIB

विगत 20 वर्षों से तितलियाँ घटती जा रही हैं

समाचार में

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कीटनाशकों, जलवायु परिवर्तन और आवास के हानि के कारण, वर्ष 2000 के बाद से अमेरिका में तितलियों की जनसंख्या में 22% की गिरावट आई है।
- विशेष रूप से मोनार्क तितली की आबादी में काफी गिरावट आई है।

तितलियाँ

- तितलियाँ कीट क्रम लेपिडोप्टेरा के अन्दर सुपरफ़ैमिली पैपिलियोनोइडिया से संबंधित हैं, जिसमें पतंगे और स्किपर भी शामिल हैं। वे पूरे विश्व में पाए जाते हैं।
- तितलियाँ अनियततापी जीव होती हैं जिसका तात्पर्य है कि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं।
- तितली के जीवन चक्र में चार चरण होते हैं: अंडा, लार्वा (कैटरपिलर), प्यूपा (क्रिसलिस), और वयस्क (इमेगो)।

तितलियों का महत्व

- वे स्वस्थ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के जैव संकेतक हैं - जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के स्तर एवं वायु में हानिकारक रसायनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

- वे खाद्य शृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं - तितलियाँ पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य कीटभक्षी जानवरों और परजीवियों का भोजन हैं
- वे मधुमक्खियों, ततैयों और मक्खियों के बाद उत्कृष्ट परागणकर्ता हैं - इन अद्भुत कीटों के बिना, हमारे पास बहुत कम पौधे होंगे

खतरे

- मानवीय अतिक्रमण, वनों की कटाई और जलवायु में उतार-चढ़ाव से तितली आवासों को खतरा है।

क्या आप जानते हैं?

- मोनार्क तितलियाँ अपनी उल्लेखनीय प्रवासी यात्रा के लिए जानी जाती हैं, जो उत्तर-पूर्व अमेरिका और दक्षिण-पूर्व कनाडा से मध्य मैक्सिको तक 1,200 से 2,800 मील की दूरी तय करती हैं।
- मार्बल मैप तितली पूर्वी घाट और ओडिशा में पाई जाती है।
- CITES में सूचीबद्ध कॉमन बर्डविंग अक्सर वन्यजीव व्यापार में पाई जाती है।
- निमफैलिडे परिवार सबसे प्रमुख था, जिसमें 31.58% प्रजातियाँ शामिल थीं, संभवतः उपयुक्त मेजबान पौधों और अनुकूल पारिस्थितिक स्थितियों की उपलब्धता के कारण।

Source :IE

‘बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश’ पुरस्कार

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘बारबाडोस स्वतंत्रता सम्मान’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- यह कोविड-19 महामारी के दौरान उनके “रणनीतिक नेतृत्व” और “मूल्यवान सहायता” के सम्मान में दिया गया।
- यह बारबाडोस सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।

- यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने देश, इसके विकास या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सार्थक और प्रभावशाली तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

वैक्सीन मैत्री पहल

- **लॉन्च की तारीख:** यह पहल 2021 में वैश्विक COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ हुई।

- **लक्ष्य:** वायरस के प्रसार से निपटने के लिए संपूर्ण विश्व के देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को COVID-19 टीके उपलब्ध कराना।
- **कार्यक्षेत्र:** भारत ने अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के 90 से अधिक देशों को टीके की आपूर्ति की।

Source: PIB

